कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)

पत्रांक: DSW/PB/
दिनांक: 01.10.2020

समिति की बैठक की कार्यावाही

मा0 कुलपति जी द्वारा गठित प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 01.10.2020 को छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में आहुत की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. उत्तर प्रदेश के शासनादेश (संख्या–629/सत्तर–1–2019–यू0ओ0 10/2019) का अनुपालन किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थी जो अन्य किसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं ले रहें है, उन्के लिए प्रवेश में 10 प्रतिशत कोटा निधारित करने के लिए कुल उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 10 प्रतिशत सीट की वृद्धि की जायेगी।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए की गयी सीट वृद्धि में इनके स्थान पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा यदि सम्बन्धित कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी सीटों पर अन्य किसी श्रेणी से प्रवेश नहीं किये जायेगे।

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों को शासनादेश के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अल्प आय वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश देना सम्भव होगा।

5. यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो उनका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

7. स्पोर्टस कोटा स्नातक स्तर पर केवल बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, बी0एससी0 (एजी0) एवं बी0एससी0 शारीरिक शिक्षा में प्रदान किया जायेगा।

8. सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को प्रवेश सम्बंधित कार्य के लिए सरकार द्वारा दिये गये कोविड–19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

01/10/2020

(छात्र कल्याण अधिष्ठाता/प्रवेश समन्वयक)

Scanned with CamScanner